ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
ISSN No.: 2347-2944, RNI:UPBIL04292, REG. No.: 561/2013-2014 Vol.-1, No.-1, **PP-151-157**,YEAR-2014

''अनुसूचित जातीय ग्रामीण अभिजन''–व्यवसायिक गतिशीलता एवं महत्वाकांक्षाएं : एक अध्ययन

(उ.प्र. : फिरोजाबाद जिले के विषेश सन्दर्भ में)

❑ डॉ0 अतुल कुमार यादव

पैरेटो[1] (1969:552) श्रेष्ठता को अभिजन (इलीट) का पर्याय मानता है, और कहता है कि अभिजन प्रभावषाली, बुद्धिमान, कुशल, चतुर और समाज के शासक होते हैं, एस. एफ. नैडेल[2] (1956:08) के अनुसार–किसी भी अभिजन की पहचान कराने वाला प्रमुख लक्षण सामाजिक श्रेष्ठता है, परन्तु वैरी[3] (1969:13) लिखते हैं कि अभिजन वह अल्पसंख्यक समूह है जो सामाजिक और राजनैतिक क्रियाकलापों में अपवाद के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किन्तु सी. राइटमिल्स[4] (1956.49) के शब्दों में अभिजन उन व्यक्तियों का संगठन है जो धन, शक्ति और प्रतिष्ठा के क्षेत्र में प्रभावी होते हैं और अपनी इच्छाओं का प्रयोग करने में सक्षम होते हैं और साथ ही ये महत्वपूर्ण विषयों पर अपना निर्णय देने की दशा में होते है। ये समाज के 'मत निर्णायक' होते हैं, जिनकी शक्ति को समाज के किसी दूसरे अंग द्वारा नियंत्रिण नहीं किया जा सकता। इन्हें तात्कालिक राजनीतिक अभिजन (लक्ष्य प्राप्ति के अभिजन) भी कहा जा सकता है।

सामान्यतः 'ग्रामीण अभिजन' को छः भागों (ग्राम प्रधान, सामुदायिक नेता, विपक्षी नेता, जातिगत नेता, परम्परागत नेतृत्व (पुरोहित) तथा क्षेत्र विकास समिति के सदस्य) में विभक्त किया जा सकता है।

पैरेटो तथा मोस्का के अभिजन सिद्धान्त प्रजातंत्र के विपरीत न होकर समाजवाद और मार्क्स के वर्ग विहीन समाज की कल्पना के विरोध के परिणाम स्वरूप विकसित हुए है एवं 20वीं सदी के अभिजन और प्रजातंत्र सिद्धान्तों में तेजी के साथ सामंजस्य हुआ है, जिससे सकारात्मक परिवर्तन विकास रूप में उभरे है।

यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि आनुसूचित जातीय ग्रामीण अभिजन किसे स्वीकार करेंगे, प्रस्तुत अध्ययन में फिरोजाबाद जिला के नवीन पंचायतराज के तहत् निर्वाचित अनुसूचित ग्राम प्रधानों को 'अनुसूचित जातिय ग्रामीण अभिजन' माना गया है। निःसन्देह 73वें संविधान संशोधन की अनेक विशेषताओं में से एक विशेषता, समाज के सबसे कमजोर वर्गों में से दलित वर्ग/अनुसूचित जातियों को पचायतराज संस्थाओं में आरक्षण दिया जाना था। जिससे अनुसूचति जाति के लोगों को अपने विकास हेतु निर्णय लेने और क्रियान्वित करने और विकास की प्रक्रिया में समान सहभागिता के अवसर ही प्रदान नहीं किए अपितु सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को भी गति मिली है। समाजशास्त्री मैक्लेलेण्ड (1969:37) के अनुसार व्यक्ति की व्यवसायिक महत्वाकांक्षाएं उसकी उपलब्धि पूर्वाभिमुखाता, जो आधुनिकीकरण का एक अंग है, को निर्धारित करती है। व्यावसायिक गतिशीलता दो स्तरों (1) स्वयं व्यवसायों के भीतर गतिशीलता (2) व्यक्ति की एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में गतिशीलता में विभक्त की जा सकती है। समान्यतः गतिशीलता में सन्दर्भ में निम्न तीन पक्षों को स्वीकार किया जाता है –

(1) समय सापेक्ष धारणा–(अ) अन्तर पीढ़ी गतिशीलता (ब) दो पीढ़ियों के बीच गतिशीलता

(2) दिशा सापेक्ष धारणा–(अ) ऊर्ध्व गतिशीलता (ब) क्षैतिज गतिशीलता

विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र ए.के. (पी.के.) कालेज शिकोहाबाद (उ.प्र.) भारत

(3) विषय सोपक्ष धारणा—(अ) कार्य की स्थिति में परिवर्तन (ब) सामाजिक विकास की स्थिति में परिवर्तन

पद्धतिशास्त्र :

उ0प्र0 के जिला फिरोजाबाद के कुल 514 ग्राम प्रधानों में अनुसूचित जाति के कुल 111 ग्राम प्रधान है, जिनमें से 50 प्रधानों का चयन ''संयोग न्यादर्श की लॉटरी पद्धति'' से किया गया। प्राथमिक तथ्य संकलन कार्य 'साक्षात्कार अनुसूची' पद्धति से किया गया है, जिसमें साक्षात्कार की प्रत्यक्ष पूछताछ प्रविधि निरीक्षण प्रविधियों का सहारा लिया गया। आँकड़ों का विश्लेषण तथा निष्कर्षों की स्थापनाएं साँख्यकीय पद्धति से की गयी है।

अध्ययन के उद्देश्य :

प्रस्तुत सर्वेक्षणात्मक समाजषास्त्रीय अध्ययन निम्न उद्देश्यों की पूर्ति/प्राप्ति के लिए सम्पादित किया गया है—

(1) न्यादर्शों की सामाजिक—आर्थिक पृष्ठभूमि की जानकारी करना।

(2) व्यवसायिक तथा सामाजिक गतिशीलता की स्थिति का अध्ययन करना।

(3) न्यादर्शों की महत्वकांक्षाओं की जानकारी करना।

(4) समस्या—समाधान हेतु व्यवहारिक सुझाव प्रस्तुत करना।

प्रीक्षणार्थ निर्मित परिकल्पनाएं : प्रस्तुत अध्ययन को वैज्ञानिकता प्रदान करने हेतु निम्न परिकल्पनाएं भी निर्मित की गयी, जिनकी सत्यता व सार्थकता का परीक्षण अध्ययन के दौरान किया जायेगा।

(1) अनुसूचित जातियों को मिलने वाले आरक्षण ने; उनके सामाजिक—आर्थिक एवं विकास में राजनीतिक विकास में अहम भूमिका निभायी है।

(2) पंचायती पदों पर पदासीन होने से अनुसूचित जातियों ने ऊर्ध्व सामाजिक गतिशीलता सकारात्मक दिशा में अर्जित की है।

(3) अनुसूचित जातियों की महत्वाकांक्षाओं में वृद्धि हुई है।

(4) अनुसूचित जातियों के लोगों को अपने विकास के निर्णय स्वयं लेने तथा विकास कार्यों को कराने के अवसर सुलभ हुए हैं।

(5) अनुसूचित ग्रामीण अभिजन पुनः प्रधान बनने की आकांक्षाएं रखते है।

(6) बच्चों की शिक्षा के प्रति आकांक्षाएं बढ़ी है।

(7) अनुसूचित जाति ग्रामीण अभिजनों के मन में भारतीय समाज में परिवर्तन लाने की कल्पना हैं

(8) अनुसूचित जाति ग्रामीण अभिजन जाति प्रथा को समाप्त करने के पक्ष में है।

तत्थ—संकलन तथा विश्लेषण—सर्वेक्षण से प्राप्त प्राथमिक तथ्यों का विश्लेषण, तत्सम्बन्धित विवेचन तथा सामान्यीकृत निष्कर्ष निम्नांकित है—

तालिका नं0 (1) न्यादर्शों की सामाजिक पृष्ठभूमि तथा प्रतिनिधित्व

क्र.सं.		सूचनाओं की सामाजिक पृष्ठभूमि (आवृत्तियाँ/प्रतिशत)					
1.	धार्मिक संरचना	हिन्दू 48(16.00)	इस्लाम 02(04.00)	अन्य (0.00)	————		योग 50(100.00)
2.	जातिय संरचना	जाटव 43(86.00)	धोबी 2(04.00)	खटीक 1(02.00)	कोरी 1(02.00)	बाल्मीकी 1(2.00)	योग 50(100.00)
3.	आयु वर्ग (वर्षों में)	0-20 01(2.00)	20-35 4(8.00)	35-40 10(20.00)	50 से ऊपर 35(70-00)		योग 50(100.00)
4.	शैक्षिक स्तर	निरक्षर 38(76.00)	प्राथमिक 5(10.00	जू0हा0 3(6.00)	हाईस्कूल 3(6.00)	अन्य 1(2.00)	योग 50(100.00)
5.	वैवाहिक स्तर	अविवाहित 7(14.00)	विवाहित 41(82.00)	अन्य(विधुर,विधवा) 2(4.00)	-------		योग 50(100.00)
6.	सामाजिक आर्थिक स्तर	निम्न 40(10.00)	मध्यम 9(18.00)	उच्च 1(2.00)	-------		योग 50(100.00)
7.	व्यवसाय	मजदूरी 4(10.00)	दुकान 2(4.00)	खेती व अन्य 43(86.00)	-------		योग 50(100.00)
8.	लिंग संरचना	पुरुष 33(66.00)	महिला 17(34.00)	-------	-------		योग 50(100.00)

प्रस्तुत तालिका में प्रदर्शित आनुभविक तथ्यों के विश्लेषण तथा तत्सम्बन्धित विवेचन से स्पष्ट है कि अनुसूचित प्रधानों में हिन्दुओं की संख्या अधिक है, जिसमें जाटव 86 प्रतिशत हैं, आयुवर्ग की दृष्टि से 50 से अधिक उम्र के 70 प्रतिशत प्रधान है जिनमें 76 प्रतिशत अशिक्षित है। इनमें 82 प्रतिशत विवाहित है जिनका कि सामाजिक आर्थिक स्तर निम्न पाया गया है। अनुसूचित जातिय प्रधानों में 66 प्रतिशत पुरूष तथा 34 प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व पाया गया है।

अनुसंधित्सु में सभी 50 न्यादर्शों से यह भी प्रश्न किया कि–''क्या अनुसूचित जातियों को नवीन पंचायतराज में मिलने वाले आरक्षण ने उनके सामाजिक–आर्थिक एवं राजनीतिक विकास में अहम भूमिका निभायी है? अध्ययन से प्राप्त तथ्यों पर निम्न तालिका नं0 (2) संक्षिप्त प्रकाश डालती है–

तालिका नं0 (2) नवीन पंचायतराज के तहत मिलने वाले आरक्षण से सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक विकास में भूमिका के सम्बन्ध में प्रत्युत्तर

क्रमांक	प्रत्युत्तर	आवृत्तियाँ	प्रतिशत
1.	हाँ	42	84.00
2.	उदासीन	05	10.00
3.	नहीं	03	06.00
	योग	50	100.00

प्रसंगाधीन तालिका के आंकड़ों के विश्लेषण सम्बन्धी विवेचना से स्पष्ट है कि 84 प्रतिशत न्यादर्शों ने यह स्वीकार किया है कि अनुसूचित जातियों तथा उनकी महिलाओं को 73वें संविधान संशोधन (नवीन पंचायतराज) में आरक्षण मिल जाने से आरक्षण ने समानार्थियों तथा राजनीतिक विकास में अहम भूमिका निर्वाह की है।

तालिका नं0 (3) ''क्या आपने पंचायती पदों पर पदासीन होकर ऊर्ध्व सामाजिक गतिशीलता सकारात्मक दिशा में अर्जिव की है ?'' प्रश्न का प्रत्युत्त

क्रमांक	प्रत्युत्तर	आवृत्तियाँ	प्रतिशत
1.	हाँ	41	82.00
2.	उदासीन	07	10.00
3.	नहीं	02	04.00
	योग	50	100.00

सर्वेक्षण के तथ्यों से स्पष्ट है कि 41(82 प्रतिशत) न्यादर्शो ने यह स्वीकार किया है कि अनुसूचित जातियों ने पंचायती पदों पर आसीन होकर ऊर्ध्व सामाजिक गतिशीलता सकारात्मक दिशा में अर्जित की है। जिससे उनकी महत्वाकांक्षाओं में वृद्धि भी हुई है, ऐसा 40(80 प्रतिशत) सूचनादाताओं ने स्वीकार भी किया है। यह पूछे जाने पर कि ''क्या आप पुनः प्रधान बनने की इच्छा रखते/रखती है?'' सर्वेक्षण से प्राप्त प्राथमिक तत्वों निम्न तालिका संक्षिप्त प्रकाश डालती है।

प्रसंगाधीन तालिका से स्पष्ट है 74 प्रतिशत प्रधान पुनः प्रधान होने की आकांक्षाएं रखते है जबकि 6 प्रतिशत पुनः प्रधान बनना नहीं चाहते/चाहती। कारण पूछे जाने पर बताया कि (1) ने अनपढ़ हैं अतः सवर्ण जातियों के लोग हेय दृष्टि से देखते है तथा विकास कार्यों को कुशलता से नहीं करा पाते साथ ही कागजी कार्यवाही करने से डरते हैं, ऐसे पुरूष तथा महिला (6 प्रतिशत) प्रधानों ने स्वीकारोक्तियाँ की हैं; महिला प्रधानों ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि प्रधान पद से सभी कार्य उनके पति करते है, वे केवल बैठकों में उपस्थित होती हैं; जो उनकी अक्षमता दर्शाती है। यह पूछे जाने पर कि ''क्या आप लोगों का विकास सम्बन्धी निर्णय स्वयं लेने तथा सवर्णों के साथ एक ही दरी पर निर्णय लेने तथा अपने विकास कार्य स्वयं कराने के अवसर सुलभ हुए हैं? प्रश्न का प्रत्युत्तर अग्रांकित तालिका नं0 5 में प्रदर्शित है।

तालिका नं0 (5) विकास कार्य सम्बन्धी निर्णय

क्रमांक	प्रत्युत्तर	आवृत्तियाँ	प्रतिशत
1.	हाँ	47	94.00
2.	उदासीन	——	00.00
3.	नहीं	03	06.00
	योग	50	100.00

पूछे गये उपरोक्त प्रश्न का सकारात्मक उत्तर देने वाले 94 प्रतिशत न्यादर्श पाए गए है सुस्पष्ट है कि (1) अनुसूचितजातियों के प्रधान आत्मनिर्भर होने की अनुभूतियाँ करते हैं (2) सवर्णों के समकक्ष पदानुभूतियाँ करते हैं (3) अपने मुहल्लों के मार्गों/गलियों, खंजरों, शौचालय, पेयजल व्यवस्था कूड़ाकरकट के उचित निपटान तथा शिक्षालय आदि निर्माण सम्बन्धी विकास कार्य स्वयं कराने के अवसर भी सुलभ हुए हैं। सवर्ण–अवर्ण के मध्य विषमता तथा अरपृश्यता में कमी की अनुभूतियाँ भी करते है। यह प्रश्न पुछे जाने पर कि ''क्या आप जाति प्रथा के समाप्त करने के पक्षधर है?'' तो शत प्रतिशत का उत्तर सकारात्मक (हाँ) पाया गया। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि यह शिक्षा के द्वारा ही संभव है; इस पर पुनः पूरक प्रश्न किया कि ''क्या आप में बच्चों की शिक्षा के प्रति आकांक्षाएं बढ़ी है?'' अध्ययन के तथ्यों पर निम्न तालिका संक्षिप्त प्रकाश डालती है :

तालिका नं0 (6) क–''क्या आप में बच्चों की शिक्षा के प्रति आकांक्षाएं बढ़ी है?''

क्रमांक	*प्रत्युत्तर*	*आवृत्तियाँ*	*प्रतिशत*
1.	हाँ	44	88.00
2.	नहीं	––	00.00
3.	उदासीन	06	12.00
4.	अनुत्तरित	––	00.00
	योग	50	100.00

प्रसंगाधीन तालिका नं0 (6) के प्राथमिक तथ्यों के विश्लेषण तथा सम्बन्धित विवेचन से सुस्पष्ट है कि 88 प्रतिशत न्यादर्शों के अभिव्यक्तियों के अनुसार उनमें अपने बच्चों के शिक्षा दिलाने के प्रति भाव जगे है। यह प्रश्न भी पूछा गया कि क्या आप अपने पैतृक/परम्परागत व्यवसायों विश्वास करते हैं? सर्वेक्षण से प्राप्त तथ्यों पर निम्न तालिका संक्षिप्त प्रकाश डालती है–

तालिका नं0 (6)ख– ''क्या आप अपने पैतृक/परम्परागत व्यवसायों में विश्वास करते है?'' प्रश्न का प्रत्युत्तर

क्रमांक	*प्रत्युत्तर*	*आवृत्तियाँ*	*प्रतिशत*
1.	हाँ	45	90.00
2.	नहीं	––	00.00
3.	उदासीन	05	10.00
	योग	50	100.00

अन्त में; न्यादर्शों से पृथक तौर पर एक प्रश्न यह भी किया गया कि– ''क्या आपके मन में भारतीय समाज में परिवर्तन लाने की कल्पना है?'' सर्वेक्षण काल में प्राप्त प्रत्युत्तर इस प्रकार है–

तालिका नं0 (7) भारतीय समाज में परिवर्तन लाने की कल्पना (सोच)–न्यादर्शों के प्रत्युत्तर

क्रमांक	प्रत्युत्तर	न्यादर्शों की (संख्या/प्रतिशत) आकांक्षाएं				
		हाँ	उदासीन	नहीं	अनुत्तरित	योग
1.	पुरूष प्रधान	27	05	01	––	33 (66.00)
2.	महिला प्रधान	10	02	02	03	17 (34.00)
	योग	37	07	03	03	50
		(74.00)	(14.00)	(06.00)	(06.00)	(100.00)

तालिका नं0 (4) ''क्या आप पुनः प्रधान बनने की इच्छा रखते है?'' प्रत्युत्तर

क्रमांक	प्रश्न का प्रत्युत्तर	आवृत्तियाँ	प्रतिशत
1.	हाँ/सकारात्मक	50	100.00
2.	नहीं/नकारात्मक	––	00.00
	योग	50	100.00

सुस्पष्ट है कि शत प्रतिशत अनुसूचित जातिय अभिजन भारतीय समाज में परिवर्तन लाने तथा डॉ. भीमराव अम्बेडकर के सपनों के भारत की कल्पना करते है। उनका मानना है कि भारतीय समाज में परिवर्तनोन्मुखी सकारात्मक परिवर्तन की शुरूआत तो हो चुकी हैं, किन्त अभी समय लगेगा।

परिकल्पनाओं के परीक्षण – परीक्षणार्थ निर्मित परिकल्पनाओं की सत्यता तथा उनकी सार्थकता सम्बन्धी परीक्षण तथा तत्सम्बन्धित तथ्यपरक विवेचन इस प्रकार है :

1. अनुसूचित जातियों को मिलने वाले आरक्षण ने उनके सामाजिक–आर्थिक तथा राजनीतिक विकास में अहम भूमिका निर्वाह की है; यह परिकल्पना सत्य तथा सार्थक पायी गयी है। (दृष्टव्य : तालिका नं0 2)
2. यह परिकल्पना भी सत्य सिद्ध हुई है कि पंचायती पदों पर पदासीन होने से अनुसूचित जाति ने ऊर्ध्व सामाजिक गतिशीलता; सकारात्मक दिशा में अर्जित की है।(दृष्टव्यःतालिका नं0 3)
3. अनुसूचित जातियों की लोगों की महत्वाकांक्षाओं में वृद्धि हुई है, यह परिकल्पना भी सत्य एवं सार्थक पायी गयी है। (दृष्टव्य : तालिका नं0 3 तथा 4)
4. यह परिकल्पना भी सत्य साबित हुई है कि अनुसूचित जातियों के अपने विकास के निर्णय स्वयं लेने तथा विकास कार्यों को कराने के अवसर सुलभ हुए है।(दृष्टव्य :

तालिका नं0 5)

5. अनुसूचित जातियों के प्रधान (अभिजन), पुनः प्रधान बनने की महत्वाकांक्षाएं रखते है यह परिकल्पना भी सत्य पायी गयी है। (दृष्टव्य : तालिका नं0 4)

6. अनुसूचित जातियों में बच्चों की शिक्षा के प्रति आकांक्षाएं रखते हैं, यह परिकल्पना भी सत्य तथा सार्थक पायी गयी है। (दृष्टव्य : तालिका नं0 6ख)

7. यह परिकल्पना भी सत्य पायी गयी है कि अनुसूचित जातिय ग्रामीण अभिजनों के मन में परिवर्तन लाने की कल्पना है। (दृष्टव्य : तालिका नं0 7)

8. ग्रामीण अनुसूचित जातिय अभिजन जाति प्रथा को समाप्त करने के पक्षधर पाए गए है।

उपरोक्त आनुभविक तथ्यों के प्रकाश में निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण अनुसूचित जाति अभिजनों में व्यासायिक गतिशीलता पायी जाती है जो भाँति–भाँति की महत्वाकांक्षाएं रखते है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Parato V; Circulation of elites in Therories of Soclety, The free Press, New York 1961p, 552.
2. Nadal S.F.; The Cioncept of Social Elites, International Social Sciences Builetin, 1969p, 8.
3. Pany Geriant; Polltical Elites, George Allen and Union Ltd, London, 1969p 13.
4. Mills C Wright; The Power, Elite, Macmilan Co. Ltd, New York, 1956, p 49.